न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/103/2021

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेवतीप्रसाद जाटव बडा मौहल्ला नई सब्जी मण्डी के पास ग्राम व पोस्ट भुसावर जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 18.01.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेवतीप्रसाद जाटव बडा मौहल्ला नई सब्जी मण्डी के पास ग्राम व पोस्ट भुसावर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2021 से प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/06 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से पत्र कमांक एलआर/स्था0/14/2021/272 दिनांक 17.01.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आर.टी.आई के तहत दो बिन्दुओं की सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से दो बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/एलआर/स्था0/14/2021/272 दिनांक 17.01.2022 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र कमांक एलआर/स्था./14/2021/5556 दिनांक 22.07.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.05.2015 की ज्वाईनिंग के सबंध में चाही गई

जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज0)

सूचना के बाबत् जबाब में अंकित किया है कि दिनांक 11.05.2015 का ज्वाईनिंग प्रार्थना पत्र कार्यालय में उपलब्ध नही है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, भू अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर